



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजी० संख्या : 75 - 4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web: www.lekhpal.wordpress.com

E-mail: lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष

☎ : +91-9456225600

पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आइ.टी.सी., महारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री

☎ : +91-9415281875

पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खान, निकट गौता धवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

● उपाध्यक्ष गण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
☎-9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
☎-9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
☎-9451510484

● कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
☎-8923920103

● संगठन मंत्री गण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
☎-9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)
☎-9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
☎-9415678593

● लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह
☎-9198895639

पत्रांक: ४६८१-४१/३६
सेवा में,

मा० आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद, लखनऊ

विषय:- प्रशिक्षु लेखपालों को प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षण दिए जाने तथा उनसे नियमित लेखपाल की तरह लेखपाल क्षेत्रों का कार्यभार देकर कार्य न कराये जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि लेखपाल पद पर चयन के पश्चात नियम 16 के अनुसार नियुक्ति किये जाने व नियुक्ति के बाद 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 17 में प्रावधान है। लेखपाल सीधी भर्ती 2015 में चयनित लेखपालों का प्रशिक्षण कराने के सम्बन्ध में परिषद से दिशा निर्देश जनपदों को निर्गत किये गये हैं। अधिकांश जनपदों में लेखपाल सेवा नियमावली के नियमों एवं मा० परिषद के निर्देशों का अनुपालन करते हुए चयनित लेखपालों की तहसीलों में लेखपाल क्षेत्रों पर तैनाती करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों में योगदान आख्या देने हेतु तैनाती क्षेत्रों से कार्यभार मुक्त कर दिया गया। जिसके उपरान्त नव नियुक्त लेखपालों ने प्रशिक्षण केन्द्र पर अपनी योगदान आख्या देकर प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया है।

महोदय, सीतापुर, जौनपुर, हरदोई, मथुरा, कानपुर, हापुड आदि कुछ जनपदों में प्रशिक्षु लेखपालों को लेखपाल क्षेत्रों का स्वतन्त्र रूप से पूर्ण कार्यभार दिया गया है। जबकि प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रशिक्षु लेखपाल को लेखपाल क्षेत्र के कार्य भार से मुक्त किया जाना चाहिये तथा प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षण ही दिया जाना चाहिये उनसे प्रशिक्षण के इतर नियमित लेखपाल के रूप में कोई भी कार्य लिया जाना नियम सम्मत नहीं है। इस प्रकार कार्य लिये जाने से वैधानिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का सामना विभाग व प्रशिक्षु लेखपाल दोनों को करना पड़ सकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने की कृपा करें कि प्रशिक्षु लेखपालों को प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षण दिया जाये उनसे नियमित लेखपाल की तरह लेखपाल क्षेत्रों का कार्यभार देकर कार्य न कराया जाये।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

(राम मूरत यादव)

प्रदेश अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ० प्र०।
2. समस्त जिला अध्यक्ष/सचिव उ० प्र० लेखपाल संघ।

(राम मूरत यादव)

प्रदेश अध्यक्ष



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजी० संख्या : 75 - 4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web: www.lekhpal.wordpress.com

E-mail: lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव

प्रदेश अध्यक्ष

☎ : +91-9456225600

पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रदेश महामंत्री

☎ : +91-9415281875

पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

● उपाध्यक्ष गण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)

☎-9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)

☎-9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)

☎-9451510484

● कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप

☎-8923920103

● संगठन मंत्री गण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)

☎-9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन)

☎-9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)

☎-9415678593

● लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह

☎-9198895639

पत्रांक: 11/08/16

दिनांक: 11/08/16

सेवा में,

मा० आयुक्त एवं सचिव

राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ

विषय:- उ० प्र० लेखपाल संघ की तहसील उपशाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिवों को पद धारण करने से 2 वर्ष तक स्थानान्तरण से मुक्त रखने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिवों का पद धारण करने की तिथि से 02 वर्ष तक स्थानान्तरण न करने का प्रावधान किया जाता है। दिनांक 11 मई 2016 को शासन द्वारा जारी वर्ष 1016-17 के लिए स्थानान्तरण नीति में क्रमांक 13 में सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण में भी उक्त प्रावधान किये गये हैं।

महोदय, उ० प्र० लेखपाल संघ एक मान्यता प्राप्त सेवा संघ है जिसकी शाखायें जनपदों व उपशाखायें तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। जनपद शाखाओं व तहसील उपशाखाओं के पदाधिकारियों का निर्वाचन 02 वर्ष के लिए किया जाता है। शासन की स्थानान्तरण नीति में सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिवों का स्थानान्तरण पद धारण करने का 02 वर्ष तक न करने के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद कुछ जनपदों में तहसील अध्यक्ष/सचिवों के स्थानान्तरण अन्य तहसीलों को कर दिये जाते हैं। तहसील पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण तहसीलों में पदाधिकारियों का चुनाव जल्दी जल्दी कराना पड़ता है जिससे शासकीय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। तहसील पदाधिकारी संवर्ग की वेतन, एरियर, मेडिकल आदि सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों के समक्ष संवर्ग का पक्ष रखते हैं। कुछ अधिकारी सेवा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने के स्थान पर अनावश्यक दबाव बनाने हेतु पदाधिकारियों का स्थानान्तरण कर देते हैं अथवा किसी राजनैतिक/दबंग भूमिकाओं के दबाव में स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं, जिससे पदाधिकारियों के साथ साथ पूरे संवर्ग का मनोबल व कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप शासकीय कार्यों की गुणवत्ता, निष्पक्षता, समयबद्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उ० प्र० लेखपाल संघ की तहसील उपशाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव को पद धारण करने की तिथि से 2 वर्ष तक स्थानान्तरण से मुक्त रखने सम्बन्धी निर्देश जिलाधिकारियों को निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय
(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा० अध्यक्ष, उ० प्र० लेखपाल संघ।
2. समस्त जिलाधिकारी महोदयान, उ० प्र०।
3. समस्त जिलाध्यक्ष/जिलासचिव, उ० प्र० लेखपाल संघ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री